तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	5, 8 से 10 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। शेष तरतीबी प्रतिवादीगण की तामील हेतु कोई सम्मन तलबाना पेश नहीं किया गया। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 23.01.2024 को पेश हो। (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)	
23.01.2024	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में वकील प्रार्थीगण ने वकील अप्रार्थीगण के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 18.10.2023 को पेश कर दिये जाने एंव अन्य अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने पर आज ही बहस सुने जाने का निवेदन किया। जिस पर उपस्थित वकील अप्रार्थीगण संख्या 6 व 7 ने प्रकरण में प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी को स्वीकार किया जाकर डिक्री अपास्त किये जाने में कोई एतराज नहीं होना पत्रावली की आदेशिका पर अंकित करते हुए अपने हस्ताक्षर अंकित किये। वकील अप्रार्थीगण की अनापत्ति के आधार पर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पुनः विलोकन आवेदन अन्तर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित आदेश 47 सीपीसी व आदेश 9 नियम 13 सीपीसी सपठित आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय द्वारा राजस्व वाद संख्या 328/13 बी0 टी0 नम्बर 81/2017 — लगातार —	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:24:43 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
	उनवानी प्रकरण रामगोपाल बनाम कज्जू वगै0 में पारित प्रारम्भिक डिक्री व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 18.05.2023 व 04.09.2023 को अपास्त किया जाता है तथा उनवानी प्रकरण रामगोपाल बनाम कज्जू वगै0 मूल वादपत्र को सुनवाई हेतु पुनः नम्बर पर लिया जाकर उभय पक्षकारान् को सुनवाई एंव जवाब देही का समुचित अवसर दिया जाता है तथा वकुलाय उभय पक्षकारान् को पाबन्द किया जाता है कि वे प्रकरण में सुनवाई हेतु आगामी पेशी दिनांक 29.01.2024 को न्यायालय सहायक कलक्टर फास्टट्रेक श्रीमाधोपुर में उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखित दफ्तर हो।

(दिलीप सिंह) 29/01/24
सहायक कलेक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:24:49 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक),श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
135/2023	2023/0291	03.10.2023	23.01.2024

उनवान

1. कज्जू पुत्र रामदेव (मृत्तक)

1/1 कैलाश चन्द पुत्र स्व. कज्जू

1/2. गिरधारीलाल पुत्र स्व. कज्जू

1/3 ओमप्रकाश पुत्र स्व. कज्जू

1/4 सुभाष पुत्र स्व. कज्जू

1/5. महेश पुत्र स्व. कज्जू

1/6. माली देवी पुत्री स्व. कज्जू

1/7 छोटी देवी पुत्री स्व. कज्जू

समस्त जाति हरिजन निवासीगण ग्राम गढ़टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:24:43 IST
Reason: SelfAttested

---प्रार्थीगण

23/01/24
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

बनाम्

1. रामगोपाल पुत्र नारायण (मृत्तक)

1/1 हीरा देवी पत्नी स्व. रामगोपाल

1/2. उषा देवी पुत्री स्व. रामगोपाल

1/3 आशा देवी पुत्री स्व. रामगोपाल

1/4 रमेश पुत्र स्व. रामगोपाल

1/5 रवि पुत्र स्व. रामगोपाल

2. बंशीधर पुत्र नारायण

3. रूड़मल पुत्र स्व. सुवालाल

4. प्रभूदयाल पुत्र स्व. सुवालाल

5. फूली देवी प त्नी सुवाराम

समस्त जाति हरिजन निवासीगण ग्राम गढ़टकनेत तहसील

श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना

6. जोधाराम पुत्र कजौड़मल जाति रैगर निवासी आसपुरा तहसील

श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:24:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

23/01/24
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

7. सीताराम पुत्र मूलचन्द जाति हरिजन निवासी अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना

8. उपपंजीयक श्रीमाधोपुर हाल अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना

9. पटवारी हल्का गढ़टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना

10. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल जिला नीमकाथाना राजस्थान

--अप्रार्थीगण

11. मनीषा देवी पत्नी स्व. पूरणमल पुत्र कज्जू

12. चेतन पुत्र स्व. पूरणमल पुत्र कज्जू

13. सुनिल पुत्र स्व. परूणमल पुत्र कज्जू

14. अनिल पुत्र स्व. परूणमल पुत्र कज्जू

समस्त जाति हरिजन निवासीगण ग्राम गढ़टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:24:43 IST
Reason: SelfAttested

--तरतीबी प्रतिवादीगण

23/01/24
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपस्थित–
श्री सरदार सिंह कुशी प्रथम एज0, प्रार्थीगण अभिभाषक।
श्री अभिषेक कुमावत प्रथम एज0, अप्रार्थीगण संख्या 6 व 7 की ओर से।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर अप्रार्थी सं 102

प्रार्थना पत्र पुर्नः विलोकन आवेदन अन्तर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित आदेश 47 सीपीसी व आदेश 9 नियम 13 सीपीसी विरूद्ध निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 18.05.2023 व निर्णय अंतिम डिक्री दिनांक 04.09.2023 उनवानी प्रकरण रामगोपाल वगैरह बनाम् कज्जू वगैरह मुकदमा नम्बर 328/2013, बी0 टी0 नम्बर 81/2013 न्यायालय सहायक कलैक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र पुर्नः विलोकन आवेदन अन्तर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित आदेश 47 सीपीसी व आदेश 9 नियम 13 सीपीसी विरूद्ध निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 18.05.2023 व निर्णय अंतिम डिक्री दिनांक 04.09.2023 उनवानी प्रकरण रामगोपाल वगैरह बनाम् कज्जू वगैरह मुकदमा नम्बर 328/2013, बी0 टी0 नम्बर 81/2013 न्यायालय सहायक कलैक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 5 की ओर से एक वादपत्र भूमि खसरा नम्बर 493 रकबा 0.73 हैक्टर तन् ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:24:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

गढटकनेत पटवार हल्का गढटकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के बाबत तकारमा व स्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थीगण एंव तरतीबी अप्रार्थीगण के मुल्क पिता/दादा कज्जू प्रतिवादी मूल वाद के प्रतिवादीगण नम्बर 2 ता 4 के विरूद्ध पेश किया गया, जिसमें न्यायालय हाजा उपखण्ड अधिकारी महोदय श्रीमाधोपुर द्वारा आदेशिका दिनांक 10.10.2013 को वादीगण के उक्त वाद को पूर्व से विचाराधीन वाद कज्जू बनाम् गोपाल के साथ हम फिता किया (ना कि कन्सोलीडेट) जाकर दिनांक 15.10.2013 पेशी नियत की गयी। दिनांक 15.10.2013 को तामील प्रतिवादीगण की लौटकर न ही आने की आदेशिका कायम की गयी जबकि आदेशिका दिनांक 10.10.2013 को कोई नोटिस तामील प्रतिवादीगण बाबत जारी नही किये गये। दिनांक 15.10.2013 की आदेशिका अनुसार इन्तजार तामील प्रतिवादीगण पत्रावली दिनांक 18.12.2013 नियत की गयी। तत्पश्चात् उत्तरोत्तर तारीख पेशी पड़ती रही। दिनांक 26.10.2020 की आदेशिका में पुनः प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन, तलबाना पेश करने के आदेश पारित कर दिनांक 10.12.2020 पेशी दी गयी। पत्रावली पुनः दिनांक 25.03.2022 की आदेशिका एडवोकेट अभिषक कुमावत द्वारा आर्डर 1 रूल 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जो रिकार्ड पर लेकर वास्ते जवाब आर्डर 1 रूल 10 सीपीसी वास्ते दिनांक 07.04.2022 पेशी नियत की गयी। पत्रावली में पेशी दर पेशी नियत की जाकर दिनांक 07.09.2022 को प्रतिवादी नम्बर 1 की फौतगी पर कायम मुकान का आवेदन पेश किया जो स्वीकार किया जाकर पत्रावली तलबी प्रतिवादीगण कायम मुकाम 1/1 से 1/11 वास्ते दिनांक 21.09.2022 नियत की गयी। फिर पेशी दर पेशी पश्चात् आर्डर 1 रूल 10 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर बहस दिनांक 07.11.2022 को सुनी जाकर वास्ते आदेश दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:24:43 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

21.11.2022 नियत की गयी। दिनांक 21.11.2022 को आदेश 1 रूल 10 सीपीसी का आवेदन स्वीकार कर पक्षकार प्रतिवादी नम्बर 5 व 6 संयोजित कर वास्ते संशोधित शीर्षक व जवाब पेश होने दिनांक 21.12.2022 नियत तारीख पेशी दर पेशी पश्चात दिनांक 18.05.2023 को पत्रावली में वकील वादीगण कमलेश कुमार शर्मा व प्रतिवादीगण नम्बर 5 व 6 के वकील श्री अभिषेक कुमावत व वकील प्रतिवादीगण फूलचन्द सामोता (किसके वकील है रिकार्ड पर नही हैं) प्रकरण में पीडी जारी करने की सहमति पर प्रकरण में पीडी जारी करने का प्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश व प्रारम्भिक डिक्री पारित कर दिनांक 28.08.2023 नियत की गयी तत्पश्चात 28.08.2023 को प्रकरण में दिनांक 26.09.2023 पेशी नियत की गयी। जिस पर तहसीलदार द्वारा प्रार्थीगण को बिना कोई सूचना एकपक्षीय पीडी तैयार की जिसमें वाद के पक्षकारान के अलावा मृत्तक खातेदार नारायण की पुत्रिया व मृत्तक खातेदार सुवालाल की पुत्रियो के नाम से पीडी की रिपोर्ट में पक्षकारान के फौतगी की स्थिति में पक्षकारान के नाम अंकित किये जाकर प्रेम, पांची व मंजू की पुत्रिया नारायण को फौत बताकर वारिसान की जानकारी नही बतायी गयी कि रिपोर्ट के साथ दिनांक 04.09.2023 को श्रीमान् के समक्ष पीडी की रिपोर्ट पेश की गयी। उसी दिन प्रतिवादीगण नम्बर 5 व 6 वकील अभिषेक की मिसल तलबी प्रार्थना पत्र पर मिसल तलब कर उसी दिन प्रतिवादीगण नम्बर 2 ता 4 की तामील कराकर उसी दिन एकपक्षीय निर्णय व डिक्री नियत दिनांक 26.09.2023 से पूर्व ही प्रार्थीगण की बिना कोई तामील जारी किये व आवश्यक पक्षकार नारायण [illegible] व सुवा की पुत्रियो को बिना पक्षकार बनाये व मृत्तक प[illegible]डी के अनुसार पता नही हैं के विरूद्ध पारित की गयी है। प्रार्थीगण को उक्त प्रकरण की कोई जानकारी नही

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:24:43 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

की, ना ही उक्त प्रकरण में कोई तामील गयी, ना ही उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा कोई वकील नियुक्त किया गया। प्रार्थीगण ने जब पटवारी हल्का से दिनांक 08.09.2023 को अपनी भूमि की नकल लेने बाबत जाने पर पटवारी हल्का द्वारा उक्त एकपक्षीय डिक्री बाबत बताया तो प्रार्थीगण ने उसी दिन पत्रावली की नकल का आवेदन दिनांक 08.09.2023 को कराया, जिस पर नकल दिनांक 21.09.2023 को प्राप्त होने पर उक्त वाद व प्रकरण की एकपक्षीय निर्णय व डिक्री की जानकारी होने पर उससे व्यथित होकर आवेदन निम्न ठोस आधारो पर प्रस्तुत कर निवेदन किया है :-

वादग्रस्त भूमि के बाबत जो वादपत्र वादीगण की ओर से पेश किया गया है उसमे मृत्तक खातेदार नारायण का वादी संख्या 1 व 2 अकेले ने ही पक्षकार बनकर वादपत्र पेश किया है। जबकि मृत्तक खातेदार नारायण के तहसीलदार की पीडी रिपोर्ट के अनुसार बिदामी देवी, कमला, प्रेम, भागोती, पांची, संतोष, मंजू पुत्रीया ओर है जिसमें प्रेम, पांची व मंजू पुत्रीया फौत हो चुकी है। जिनके वारिसान को कोई पक्षकार संयोजित नही किया गया व मृत्तक खातेदार सुवाराम के केवल वादीगण नम्बर 3 व 4 ही वारिस बनकर मृत्तक खातेदार सुवाराम के शांति देवी, गीता देवी, चौथी देवी, मीरा देवी पुत्रीया सुवाराम ओर वारिसान होने के बावजूद बिना पक्षकार संयोजित एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित करायी गयी है जो तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा पीडी की पालना की रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख हैं तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भी [illegible] पीडी की पालना के निर्णय का पालन नही कर मृत्तक वारिसान की तामील व सूचना बनाकर बिना सूचना के अपने पदीय हैसियत का दुरूपयोग कर एकपक्षीय पीडी की पालना न्यायालय में

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:24:43 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

गैर कानूनी भेजी है जो कि पत्रावली के अभिलेख पर प्रत्यक्ष त्रुटि हैं। इसलिये न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है। वादीगण की ओर से प्रकरण वादपत्र बाबत बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा का है जो आर.टी. एक्ट. की धारा 53 के तहत का अनुतोष हैं। 53 में स्पष्ट उल्लेख है कि सभी सह अभिधारो को वाद में पक्षकार बनाया जावेगा, किन्तु वादीगण ने षड़यन्त्रपूर्वक मृत्तक नारायण व मृत्तक सुवाराम खातेदार की पुत्रियो को पक्षकारान नही बनाया गया हैं, ना ही पत्रावली के प्रथम दृष्ठवा अवलोकन से अप्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 1 को व मिन अप्रार्थीगण को प्रकरण की कोई तामील ही जारी की गयी, ना ही प्रार्थीगण को प्रकरण की जानकारी हुयी, ना ही प्रकरण में प्रार्थीगण व इनके मृत्तक पिता कज्जू द्वारा कोई प्रकरण में वकील ही नियुक्त किया है। इस प्रकार पत्रावली प्रथम दृष्ठवा अवलोकन से ही स्पष्ट है कि वादीगण ने न्यायालय हाजा को मुगालता देकर आक्षेपित एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित करायी गयी है जो प्रथम दृष्टवा ही निरस्त किये जाने योग्य है। न्यायालय द्वारा जो प्रारम्भिक डिक्री की पालना रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा भेजी गयी। उसका अवलोकन करने व पत्रावली में प्रार्थीगण/प्रतिवादी नम्बर 1 की बिना तामील हुये निर्णय करने की भूल हुयी है। न्यायालय हाजा द्वारा जो निर्णय व डिक्री पारित की गयी हैं उसमें सरसरी तौर पर देखने मात्र से ही प्रकट होता हैं कि उक्त निर्णय व डिक्री केवल मात्र प्रतिवादी नम्बर 5 व 6 के लिये ही पारित की गयी हैं, ना कि वाद के अन्य पक्षकारो के लिये, जबकि वाद में ऐसा कोई अनुतोष भी प्रतिवादी नम्बर 5 व 6 के बाबत ... इसलिये भी आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित करने में न्यायालय हाजा से भूल हुयी है। उक्त प्रकरण मे रिकार्ड पर अभलेख सामग्री से स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण की कोई तामील नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:24:43 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

हुयी हैं, ना ही वास्तविक पक्षकार मृत्तक खातेदार सुवा व नारायण के वारिसान का संयोजन हुआ है, ना ही विधिक प्रकिया का अनुसरण किया गया है जबकि प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त हैं। प्रार्थीगण व आवश्यक पक्षकारो को वाद में सुना जाना चाहिये जिसे गौर करने में भूल हुयी है। इसलिये भी आक्षेपित निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण की ओर से आवेदन पुर्नःविलोकन पेश कर न्यायालय द्वारा उनवानी प्रकरण वाद संख्या 328/13 बीटी नम्बर 81/2013 में पारित प्रारम्भिक व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 18.5.2023 व 4.9.2023 को पुर्नःविलोकन कर निरस्त फरमाया जाकर प्रार्थीगण का वाद के आवश्यक पक्षकारो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये जाने का निवेदन वकील प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में किया गया है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पुर्नः विलोकन आवेदन अन्तर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित आदेश 47 सीपीसी व आदेश 9 नियम 13 सीपीसी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण नम्बर 6 व 7 की ओर से श्री अभिषेक कुमावत प्रथम, एड0 ने उपस्थित होकर वकालतनामा मय जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। शेष अप्रार्थीगण संख्या 1/1 से 1/5, 2 से 5, 8 से 10 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाये जाने के बावजूद तीन माह व्यतीत हो जाने पर भी हाजिर अदालत उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थीगण संख्या 1/1 से 1/5, 2 से 5, 8 से 10 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण की तामील हेतु कोई सम्मन तलबाना पेश नहीं किया गया। वकील प्रार्थीगण ने वकील अप्रार्थीगण के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक .10.2023 को पेश कर दिये जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:24:43 IST
Reason: SelfAttested

23/01/24
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जोधपुर (नीमकाथाना)

एंव अन्य अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने पर आज ही बहस सुने जाने का निवेदन किया। जिस पर उपस्थित वकील अप्रार्थीगण संख्या 6 व 7 ने प्रकरण में प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी को स्वीकार किया जाकर डिक्री अपास्त किये जाने में कोई एतराज नहीं होना पत्रावली की आदेशिका पर अंकित करते हुए अपने हस्ताक्षर अंकित किये।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी में वर्णित अनुसार **प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय डिक्री को अपास्त करना**— *किसी ऐसे मामले में जिसमें डिक्री किसी प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय पारित की गई है, वह प्रतिवादी उसे अपास्त करने के आदेश के लिए आवेदन उस न्यायालय में कर सकेगा जिसके द्वारा वह डिक्री पारित की गई थी और यदि वह न्यायालय का यह समाधान कर देता है कि समन की तामील सम्यक रूप से नहीं की गई थी या वह वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर उपसंजात होने से किसी पर्याप्त हेतुक से निवारित रहा था तो खर्चो के बारे में, न्यायालय में जमा करने के या अन्यथा ऐसे निर्बन्धनों पर जो वह ठीक समझे, न्यायालय यह आदेश करेगा कि जहॉ तक डिक्री उस प्रतिवादी के विरूद्ध है वहां तक वह अपास्त कर दी जाए, और वाद में आगे कार्यवाही करने के लिए दिन नियत करेगा;*

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के प्रस्तुत प्रकरणों में न्यायालय द्वारा पारित की गई एक पक्षीय डिक्री में प्रतिवादीगण के विरूद्ध की गई सम्मन तामीलात पर एक पक्षीय कार्यवाही को अपास्त किये जाने के सम्बन्ध में मुख्य रूप से तामीलों का अवलोकन कर नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का उल्लघंन होने या नहीं होने व प्रतिवादीगण को विधिक प्रक्रिया व प्रावधानों के तहत तामील हुई है या नहीं के सम्बन्ध में परीक्षण किया जाना होता है। जिसके लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 नियम 17, 18, 19 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:24:43 IST
Reason: SelfAttested

Rathore
23/01/24
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
माधोपुर (नीमकाथाना)

स्पष्ट प्रावधान किये गये है। सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 5 नियम 17, 18, 19 की पालना की गई है या नही इस आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी में अन्तिम निर्णय पारित किया जाना होता है।

हस्तगत प्रकरण में वकील अप्रार्थीगण संख्या 6 व 7 के द्वारा लिखित में सहमति व्यक्त कर दिये जाने से मूल वादपात्र में पक्षकारान् प्रतिवादीगण की हुई सम्मन तामीलों का बिना अवलोकन किये एंव तामीलों पर बिना प्रकाश डाले एंव वकुलाय उभय पक्षकारान् की सहमति के आधार पर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को मध्यनजर रखते हुए वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पुर्नः विंलोकन आवेदन अन्तर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित आदेश 47 सीपीसी व आदेश 9 नियम 13 सीपीसी को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पुर्नः विंलोकन आवेदन अन्तर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित आदेश 47 सीपीसी व आदेश 9 नियम 13 सीपीसी को अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है तथा इस [illegible] वाद संख्या 328 / 13 बी0 टी0 नम्बर 81 / 2019 [illegible] बनाम कज्जू वगै0 में पारित प्रारम्भिक डिक्री व अंतिम निर्णय व [illegible]की दिनांक 18.5.2023 व 4.9.2023

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:24:43 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

को अपास्त किया जाता है तथा उनवानी प्रकरण रामगोपाल बनाम कब्जू वगै० मूल वादपत्र को सुनवाई हेतु पुनः नम्बर पर लिया जाकर उभय पक्षकारान् को सुनवाई एंव जवाब देही का समुचित अवसर दिया जाता है तथा वकुलाय उभय पक्षकारान् को पाबन्द किया जाता है कि वे प्रकरण में सुनवाई हेतु आगामी पेशी दिनांक 29.01.2024 को न्यायालय सहायक कलक्टर फास्टट्रेक श्रीमाधोपुर में उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखित दफ्तर हो।

23/01/24
(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 23.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/01/24
(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:24:43 IST
Reason: SelfAttested